

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

No. 2001/TG-V/11/31

New Delhi, dated 7.01.2016

**The Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.**

Commercial Circular No. 01 of 2016

Sub: - Misuse of Senior Citizen Concession as well as Senior Citizen Quota.

In terms of IRCA Coaching Tariff No. 26/Part-I/Vol.-II, w.e.f. 01.04.2008, male senior citizen of the age of 60 years and above, women senior citizen of the age of 58 and above are granted 40% and 50% concession respectively in all classes of Mail/Express/Rajdhani/Shatabdi etc. trains. No proof of age is required at the time of purchasing tickets, however, during journey the senior citizen is required to carry prescribed documentary proof issued by any Government agency showing their age or date of birth. In case the senior citizen is not able to produce the requisite proof of age during the journey, he/she is charged only the difference of fare (between full fare and concessional fare).

- 1.1 Senior citizens have also been provided a facility to get confirmed lower berths under Senior Citizen Quota.
2. Instances have been brought to the notice of this office regarding misuse of Senior citizen concession as well as quota as under:-
 - (i) The passengers book the ticket under Senior Citizen Quota by giving wrong age. In case they are detected they give the difference of fare otherwise they go undetected resulting in loss of revenue to the Railways.
 - (ii) Some passengers also book confirmed lower berths under Senior Citizen Quota and in case they get detected, they pay the difference of fare and enjoy the benefit of senior citizens concession/as well as quota unauthorisedly.

(iii) Some agents use this method to cheat the passengers. They book the ticket by giving wrong declaration of age and subsequently modify the e-ticket by giving correct age and dupe the passengers.

3. Matter has been examined in the office and the following has been decided:-

- (i) CRIS/IRCTC will make a provision that whenever a passenger enquires about the PNR status, the fare charged on the ticket should be reflected. Feasibility of displaying other relevant details like full form of quota under which booked, age of passenger shall also be explored by CRIS/IRCTC so that the passengers do not get cheated by unscrupulous ticketing agents.
- (ii) Whenever any passenger is found travelling in the train on the berths booked under Senior Citizen Quota by declaration of wrong age depriving the genuine eligible passengers he/she should be treated as travelling without ticket and charged accordingly. This penalty is suggested as the person is not only cheating on fare part but is also getting a confirmed berth on false declaration depriving the eligible passengers of a confirmed lower berth.
- (iii) Whenever any passenger is found travelling in the train by declaration of wrong age so as to get senior citizen concession only, they should be charged penalty in addition to difference of fare.

4. These instructions will be made effective w.e.f. 01.02.2016. Necessary instructions may be issued to all concerned specifically ticket checking staff with a note of caution to be patient and tactful while handling such passengers to avoid any complaint regarding any harassment.

V.S. 2/1/16

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2001/टीजी-V/11/31

नई दिल्ली, दिनांक 07.01.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 01

विषय: वरिष्ठ नागरिक रियायत के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिक कोटे का दुरुपयोग।

आईआरसीए कोचिंग टेरिफ सं. 26/पार्ट-1/वॉल-11 के अनुसार 01.04.2008 से 60 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के पुरुष वरिष्ठ नागरिकों और 58 वर्ष तथा उससे ऊपर की महिला वरिष्ठ नागरिकों को मेल/एक्सप्रेस/राजधानी/शताब्दी आदि गाड़ियों की सभी श्रेणियों में क्रमशः 40% और 50% रियायत प्रदान की जाती है। टिकट खरीदते समय आयु का प्रूफ देना अपेक्षित नहीं होता है। बहरहाल, यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को किसी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया निर्धारित दस्तावेजी प्रूफ, जिसमें उनकी आयु अथवा जन्म की तारीख दी गई हो, साथ रखना अपेक्षित होता है। यदि यात्रा के दौरान, वरिष्ठ नागरिक आयु का अपेक्षित प्रूफ प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उनसे केवल किराए का अंतर (पूरा किराया और रियायती किराए के बीच की राशि) ही प्रभार्य होता है।

1.1 वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक कोटे के अंतर्गत सुनिश्चित लोअर बर्थ दिए जाने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

2. इस कार्यालय के नोटिस में वरिष्ठ नागरिक रियायत के साथ-साथ कोटे के दुरुपयोग के निम्नलिखित दृष्टांत लाए गए हैं:-

- (i) यात्री गलत आयु लिखकर वरिष्ठ नागरिक कोटे के अंतर्गत टिकट बुक कराते हैं। यदि वे पकड़े जाते हैं तो वे किराए का अंतर का भुगतान कर देते हैं और पकड़े न जाने की स्थिति में रेलवे को राजस्व की क्षति होती है।
- (ii) कुछ यात्री वरिष्ठ नागरिक कोटे के अंतर्गत सुनिश्चित लोअर बर्थ बुक करा लेते हैं और यदि वे पकड़े जाते हैं तो वे किराए के अंतर का भुगतान कर देते हैं और वे वरिष्ठ नागरिक कोटे की रियायत/साथ ही साथ कोटे का अनधिकृत रूप से लाभ उठाते हैं।

- (iii) कुछ एजेंट इस प्रक्रिया का इस्तेमाल यात्रियों को ठगने के लिए करते हैं। वे आयु का गलत ब्यौरा देकर टिकट बुक करते हैं और बाद में सही आयु देकर ई-टिकट को संशोधित करते हैं और यात्रियों को ठगते हैं।

3. इन मामलों की इस कार्यालय में जांच की गई है और निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है:-

- (i) क्रिस/आईआरसीटीसी ऐसा प्रावधान करेंगे कि जब कभी भी कोई यात्री पीएनआर स्थिति की जानकारी मांगता है तो उसे उस टिकट पर प्रभार्य किराया दिखाई देना चाहिए। क्रिस/आईआरसीटीसी द्वारा अन्य संबंधित विवरण जैसे कि कोटा, जिसके तहत टिकट बुक किया गया हो, का सम्पूर्ण ब्यौरा, यात्री की आयु प्रदर्शित करने की व्यवहार्यता की भी जांच की जाएगी, ताकि अनैतिक टिकटिंग एजेंटों द्वारा यात्रियों को न ठगा जा सके।
- (ii) जब कभी कोई यात्री गलत आयु विवरण देकर वास्तविक पात्र यात्री को वंचित करके, गाड़ी में वरिष्ठ नागरिक कोटे के तहत बुक की गई सीट पर यात्रा करता हुआ पाया जाता है तो उसे बिना टिकट यात्रा करते हुए माना जाना चाहिए और उस पर तदनुसार प्रभार लगाया जाना चाहिए। इस दंड का सुझाव इसलिए दिया गया है क्योंकि इससे वह व्यक्ति केवल किराए के मामले में ही ठगी नहीं करता अपितु गलत विवरण देकर, कन्फर्म लोअर बर्थ के लिए पात्र यात्री को भी सीट से वंचित करता है।
- (iii) जब कभी कोई यात्री केवल वरिष्ठ नागरिक रियायत प्राप्त करने के लिए गलत ब्यौरा देकर गाड़ी में यात्रा करता हुआ पाया जाता है तो उसे किराए के अंतर के अतिरिक्त दंड भी लगाया जाना चाहिए।

4. ये अनुदेश 01.02.2016 से प्रभावी होंगे। सभी संबंधितों को, विशेष रूप से टिकट जांचकर्ता कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं और उनसे इन नियमों का पालन करते समय यह सावधानी बरतने के लिए कहा जाए कि वे धैर्य व चतुराई से काम करें ताकि तंग किए जाने की शिकायतें प्राप्त न हों।


(विक्रम सिंह)

निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड